राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक.प.15(15)वि.मा./2011–पार्ट–II   जयपुर, दिनांक 05 सितम्बर, 2017

परिपत्र

विषय :– एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत ऑन–लाईन निजी निक्षेप खाता खोलने के संबंध में।

वर्तमान में नवीन निजी निक्षेप खाता खोलने हेतु वित्त (मार्गोपाय) विभाग की स्वीकृति के पश्चात कोषालय स्तर पर राजकोष मॉडयूल में आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इस प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाईन करने के उद्देश्य से वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत पी.डी खाता मॉडयूल में निजी निक्षेप खाता ऑन–लाईन खोलने की प्रक्रिया दिनांक **15.09.2017** से प्रारम्भ की जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होने के पश्चात नवीन पी.डी खाता संख्या एवं पी.डी खाते खोलने की स्वीकृति वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत पी.डी खाता मॉडयूल के माध्यम से जारी की जावेगी। नवीन पी.डी खाते की संख्या एवं पी. डी खाता खोलने की स्वीकृति का विवरण राजकोष मॉडयूल में संबंधित कोषालय में स्वतः उपलब्ध हो जावेगा। इस संबंध में समस्त कोषाधिकारियों तथा संबंधित कार्मिको को दिनांक **16.01.2017** को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। ऑन–लाईन पी.डी. खाता खोलने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1. नवीन पी.डी. खाता खोलने हेतु संबंधित विभाग/संस्था/निगम द्वारा अपने प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा के साथ पत्रावली पर निम्नाकिंत सूचनाओं सहित प्रस्ताव वित्त (मार्गोपाय) विभाग प्रेषित किए जावेगें:–

   i. नवीन पी.डी. खाते का नाम

   ii. विभाग/संस्था/निगम का नाम एवं पूर्ण पता

   iii. पी.डी. खाते का प्रकार – ब्याज रहित/ब्याज सहित

   iv. पी.डी. खाता खोलने का उद्देश्य

   v. कोषालय का नाम जहां पी.डी. खाता खुलवाया जाना है

   vi. पी.डी. खाते को संचालित करने वाले अधिकारी का पदनाम

   vii. पी.डी. खाते संचालन की प्रकृति (एकल/संयुक्त) एवं यदि आहरण की कोई सीमा रखी जानी है तो उसका विवरण

   viii. पी.डी. खाता खुलवाने वाले का Status –संस्था/निगम किस एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। पंजीकरण की प्रति संलग्न करें।

   ix. पी.डी. खाता धारक के आय के स्त्रोत।

x. पी.डी. खाते में संशोधन/परिवर्तन/बन्द का प्रस्ताव हो तो विभाग द्वारा संशोधन/परिवर्तन/बन्द के कारणों की सूचना भी प्रस्ताव में भिजवाई जावे।

2. वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा पी.डी.खाता खोले जाने की स्वीकृति संबंधित कोषालय को ऑन–लाईन जारी की जावेगी।

3. पी.डी. खाता स्वीकृति ऑन–लाईन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कोषालय स्तर पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

4. विद्यमान पी.डी. खातों में किसी प्रकार के संशोधन किए जाने के संबंध में विभाग/संस्था/निगम द्वारा अपने प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पत्रावली पर ही भिजवाए जावेंगे तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा प्रस्तावानुसार आवश्यक कार्रवाई कर ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जावेगी। संबंधित कोषालय द्वारा वित्त (मार्गोपाय) विभाग की ऑनलाईन स्वीकृति के अनुसार ही सिस्टम पर कार्रवाई की जावेगी।

5. ऑपरेशनल गाईड लाईन्स परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

केन्द्रीयकृत पी. डी. खाता मॉड्यूल का यूजर मैनुअल बजट मॉड्यूल पर उपलब्ध होगा। दिनांक **05.09.2017** से राजकोष सॉफ्टवेयर में कोषालय स्तर पर नवीन पी डी खाता खोलने की सुविधा बन्द कर दी जायेगी। नवीन पी डी खाता खोलने की सुविधा दिनांक **15.09.2017** से सिर्फ केन्द्रीयकृत पी. डी. खाता मॉड्यूल पर ही उपलब्ध होगी। उक्त मॉड्यूल में तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु (IFMS) हेल्प डेस्क, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष संख्या 0141–5153222 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. जिला कलक्टर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
8. अति.निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
9. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, आईएफएमएस सेल, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, आईएफएमएस सेल, कोष एवं लेखा, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

<u>परिशिष्ट – क</u>

केन्द्रीयकृत पी.डी. खाता मॉड्यूल की कार्य प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :–

Web Site Url : ifms.raj.nic.in

1. IFMS वेब साईट पर वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा लॉग–इन कर निम्नलिखित कार्य किये जा सकते है :–

   1. नवीन पी डी खाते खोलना |
   2. पी डी खातो में संशोधन करना ।
   3. पी डी खातो को बंद करना (5 वर्ष से अधिक के निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)।

2. इसके लिए वित्त (मार्गोपाय) विभाग आवश्यक स्वीकृति केन्द्रीयकृत पी.डी. खाता मॉड्यूल के द्वारा जारी करेगा।

3. वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति संबंधित कोषालयों को केन्द्रीयकृत पी.डी. खाता मॉड्यूल में
   दिखाई देगी। कोषालय स्तर पर आवश्यक स्वीकृति जारी करने की सुविधा भी मॉडयूल में उपलब्ध होगी।

4. केन्द्रीयकृत पी. डी. खाता मॉड्यूल में कोषालय हेतु लॉगिन पासवर्ड वही होगा जो बजट मॉडयूल के लिए उपयोग में लिया जा रहा है ।

5. केन्द्रीयकृत पी.डी. खाता मॉड्यूल में खोले गए नवीन पी डी खाते का विवरण राजकोष मॉड्यूल पर भी उपलब्ध होगा।

केन्द्रीयकृत पी.डी. खाता मॉड्यूल से निम्न स्वीकृतियाँ निकाली जा सकेगी :–

1. नये पी.डी. खाते खोलने के लिये
2. पी.डी. खाते में संशोधन हेतु
3. पी.डी. खाता स्थानांतरण हेतु
4. पी.डी. खाता बंद करने हेतु

कोष कार्यालयों के लिए :–

1. जिन मदों में कोष कार्यालय नवीन पी.डी. खाता खोलने हेतु अधिकृत है उनमें पी डी खाता खोलने के लिए कोष कार्यालय को http://ifms.raj.nic.in पर लॉग इन करना होगा।
2. लॉगिन पासवर्ड वही होगा जो बजट मॉडयूल के लिए उपयोग में लिया जा रहा है।
3. इस पी डी खाते को DDO कोड से लिंक करने का कार्य राजकोष मॉडयूल पर किया जावेगा।
4. IFMS वेब साईट पर कोष कार्यालय द्वारा लॉग इन करने के पश्चात जिन मदों में कोषालय पी डी खाता खोलने हेतु अधिकृत है उनमें निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं :–

   1. नवीन पी डी खाते खोलना
   2. स्वयं द्वारा खोले गए पी डी खातो में संशोधन करना
   3. पी डी खातो को बंद करना